संख्या: 90/ 77-6-16-एल.सी. 155/ 2014

प्रेषक,

श्री आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त संबंधित प्रमुख सचिव/ सचिव, उ.प्र. शासन।
2- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उ.प्र. शासन।
3- आयुक्त एवं निदेशक, उ.प्र.।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 लखनऊ: दिनांक 02 फरवरी, 2016

विषय: राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु द्वारा प्रारम्भ की गई *समाधान-दिवस'* व्यवस्था को .जिला स्तर पर भी क्रियान्वित किया जाना।

महोदय,

कृपया औद्योगिक विकास विभाग (अनुभाग-6), उ.प्र. शासन के शासनादेश संख्या 1562/ 77-6-14-एल.सी.155/ 2014, दिनांक 20-10-2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश को आकर्षित करने एवं प्रदेश को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक गंतव्य के रूप में विकसित किए जाने तथा प्रदेश में अधिकाधिक उद्योगों की स्थापना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रदेश में स्थापित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं एवं तत्क्रम में औद्योगीकरण के मार्ग में आने वाली समस्याओं का त्वरित निस्तारण किए जाने हेतु प्रमुख सचिव-औद्योगिक विकास/ अधशासी निदेशक-उद्योग बन्धु की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर 'समाधान-दिवस' आयोजित किए जाने की व्यवस्था लागू की गई है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त व्यवस्था को *जिला स्तर* पर भी प्रभावी रूप से क्रियान्वित किए जाने हेतु निम्नांकित दिशा-निर्देश निर्धारित किए जाते हैं:-

(1) .जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र में प्रत्येक शुक्रवार को प्रातः 10.30 से 12.00 बजे तक समाधान दिवस की बैठक का आयोजन किया जाए, जिसके समन्वय का कार्य उपायुक्त-उद्योग द्वारा किया जाएगा।

(2) .जिला स्तर पर आयोजनीय समाधान दिवस की बैठकों में निम्नलिखित विभागों के अधिकारी स्थाई सदस्य के रूप में उपस्थित होंगे:-

1. विद्युत सुरक्षा विभाग
2. डिस्काम

http://shasanadesh.up.nic.in

3. उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
4. वन विभाग
5. उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
6. उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम
7. उ.प्र. वित्तीय निगम
8. व्यापार-कर विभाग
9. श्रम विभाग
10. विकास प्राधिकरण
11. नगर विकास
12. अग्निशमन विभाग
13. औद्योगिक विकास प्राधिकरण

(3) उपरोक्त के अतिरिक्त, यदि किसी अन्य विभाग से सम्बंधित समस्या/ जिज्ञासा प्राप्त होती है, तो उपायुक्त-उद्योग द्वारा सम्बंधित अधिकारी को आमंत्रित किए जाने की दशा में उस अधिकारी की प्रतिभागिता अनिवार्य होगी। अधिकारी द्वारा प्रतिभाग न किए जाने की दशा में उपायुक्त-उद्योग द्वारा ऐसे प्रकरण को ज़िलाधिकारी के साथ-साथ राज्य उद्योग बन्धु के संज्ञान में भी लाया जाएगा।

(4) जिन विभागों में जनपद स्तर के अधिकारी सुलभ नहीं है, वहाँ आयोजित होने वाले समाधान दिवस में मण्डल मुख्यालय के जनपदों में मण्डल मुख्यालय पर रहने वाले वरिष्ठतम अधिकारी द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। यदि उस विभाग में मण्डल स्तर पर अन्य अधिकारी उपलब्ध हैं तो उन्हें मण्डलीय अधिकारी द्वारा सम्बंधित जनपद के लिए नामित किया जाएगा और सम्बंधित अधिकारी द्वारा सम्बंधित जनपद में आयोजित होने वाले समाधान दिवस में प्रतिभाग किया जाएगा।

(5) ज़िला स्तर पर उद्यमियों की शिकायतें/ प्रत्यावेदन/ जिज्ञासाएं/ संदर्भ इत्यादि, जो प्रत्येक सप्ताह वृहस्पतिवार तक प्राप्त होते हैं, को शुक्रवार को सम्बंधित विभागीय अधिकारी के समक्ष उपायुक्त-उद्योग द्वारा रखा जाएगा तथा यथा सम्भव सम्बंधित उद्यमी/ प्रत्यावेदक को भी अपना पक्ष रखने हेतु बैठक में आमंत्रित किया जाएगा। यदि किसी कारणवश सम्बंधित उद्यमी/ प्रत्यावेदक स्वयं उपस्थित नहीं हो सकता है तो उसके द्वारा प्रस्तुत समस्या/ पृच्छा पर प्राप्त विभागीय अधिकारी के अभिमत/ आख्या से उपायुक्त-उद्योग द्वारा उद्यमी/ प्रत्यावेदक को एक सप्ताह के अन्दर लिखित रूप में अवश्य अवगत करा दिया जाएगा।

(6) इसी प्रकार, जिन समस्याओं का निस्तारण मण्डल स्तर पर हो सकता हो, उन्हें सम्बंधित परिक्षेत्रीय संयुक्त आयुक्त-उद्योग को संदर्भित कर दिया जाए, जो 15 दिन के अन्दर समस्या का समाधान करायेंगे।

(7) किन्तु जिन समस्याओं का समाधान, ज़िला अथवा मण्डल स्तर पर सम्भव ही नहीं है, उन्हें उपायुक्त-उद्योग/ संयुक्त आयुक्त-उद्योग द्वारा अविलम्ब, स्थानीय स्तर से विभागीय अभिमत/ आख्या प्राप्त

http://shasanadesh.up.nic.in

करते हुए राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु को समस्या प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर पूर्ण विवरण सहित संदर्भित कर दिया जाएगा।

(8) उपायुक्त-उद्योग द्वारा प्रत्येक सप्ताह समाधान दिवस के अवसर पर विभागीय अधिकारियों के साथ नये उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में निवेश-मित्र पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के समयबद्ध निस्तारण (अनुमतियाँ/ अनापत्तियाँ आदि) एवं यू.पी.आई.जी.आर.एस. के माध्यम से प्राप्त प्रकरणों के निस्तारण की भी नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी, जिससे उद्यमियों को वांछित अनुमतियों/ अनापत्तियों आदि के साथ-साथ उनकी विविध समस्याओं का भी ससमय निस्तारण हो सके।

(9) उपायुक्त-उद्योग द्वारा उ.प्र. जनहित गारण्टी अधिनियम में वर्णित सेवाओं से समस्त विभागीय अधिकारियों को भी विधिवत् अवगत कराया जाएगा तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस अधिनियम एवं निवेश मित्र में निर्धारित समयावधि, जो भी पहले हो, का पालन हो रहा है। समयावधि का पालन न होने की दषा में उपायुक्त-उद्योग द्वारा प्रकरण, .जिलाधिकारी के साथ-साथ राज्य उद्योग बन्धु के संज्ञान में भी लाए जाएंगे।

(10) उपायुक्त-उद्योग द्वारा ईज़-आफ-डूईंग-बिज़नेस व्यवस्था से समस्त अधिकारियों को, उद्यमियों को सुगमतापूर्वक उद्यम स्थापित एवं संचालित करने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से समय-समय पर निर्गत किए जाने वाले शासनादेशों, प्रचलित व्यवस्थाओं तथा सुधारों इत्यादि के बारे में भी सूचनाएं प्रदान करते हुए अद्यावधिक किया जाएगा।

(11) निवेश मित्र/ यूपीआईजीआरएस के माध्यम से प्राप्त एवं अन्य समस्त आवेदन/ प्रकरण/ प्रत्यावेदन, जिनका 'निस्तारण' समाधान दिवस के माध्यम से नहीं हो पाए, उन्हें उपायुक्त-उद्योग द्वारा .जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजनीय अगली .जिला स्तरीय उद्योग बन्धु समिति की बैठक में रखकर निस्तारित कराया जाए।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या: 90(1)/ 77-6-16-एल.सी. 155/ 2014 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ.प्र. शासन।
2. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र. शासन।
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
4. प्रमुख सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ.प्र. शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त के नियंत्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष/ निगमों / प्राधिकरणों के प्रबन्ध निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी ।
6. अधिशासी निदेशक/ संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12-सी मॉल् एवेन्यू, लखनऊ।
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/ विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ.प्र. शासन।
8. समस्त संयुक्त आयुक्त-उद्योग, उ.प्र.।
9. समस्त उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, उ.प्र.।
10. औद्योगिक विकास विभाग के समस्त विशेष/ संयुक्त/ उप/ अनु सचिव एवं समस्त अनुभाग अधिकारी।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12. गार्ड फाइल/ अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(महेश कुमार गुप्ता)
प्रमुख सचिव
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग

http://shasanadesh.up.nic.in